मूल्यो वगै० बनाम - हजारी वगै०

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14-6-22 वकील वादी उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 19-7-22 को पेश हो।	
19.7.22 वकिल वादी उपo वास्ते बहस पत्रावली दि० 22-8-22 को पेश हो।	
22/8/22 पत्रावली पेश हो/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/प्रत्यर्थी/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/9/22 को पेश हो। रीडर	
8/9/22 पत्रावली पेश हो/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/प्रत्यर्थी/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-10-22 को पेश हो। रीडर	
18/10/22 वकील वादी उप०। वास्ते बहस पत्रा० दि० 1-11-22 को पेश हो।	
1-11-22 वकील वादी उप०। वास्ते बहस पत्रा० दि० 28-11-22 को पेश हो।	
28-11-22 वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते ... पत्रा० दि० 7-12-22 को पेश हो।	
7-12-22 वकील वादी उप० है। तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपजिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/2017	22.3.2017	7.12.2022

1. मूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सत्तू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रभू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र भौरया, रैगर निवासी अहमदपुर हाल निवासी आदर्श नगर, रैगर मौहल्ला सवाई माधोपुर
2 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
3 उपपंजीयन अधिकारी तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री वृद्धिचंद शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी, शामिल कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 146 रकवा 68 ऐयर, खसरा नम्बर 398 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 359 रकवा 37 ऐयर ग्राम अहमदपुर मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का शामिल का कुआ ख0न0 398 मे स्थित है जो वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने सन् 1989 मे बनवाया था। उक्त मे वर्णित कृषि भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 शामिल मे काश्त करते है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का विभाजन मौके पर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मे आज तक नही हुआ है। तीनो खसरा नम्बरान मे वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 शामिल मे काश्त करते आ रहे है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ मु0 पन्नी की मृत्यु करीब 4 महीने पहले ग्राम अहमदपुर मे हो चुकी है। जमाबंदी मे वादीगण का हिस्सा मु0 पन्नी सहित 5/6 अंकित है तथा सत्तू वादी का हिस्सा 1/6 अंकित है। जब तक कृषि भूमि का मद नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 146,398,359 का विधिवत बॅटवारा डिवीजन ऑफ होडिंग नही हो जाता है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 हजारी को खसरा नम्बर 146, 398, 359 मे से 1/6 हिस्से का अथवा 1/5 हिस्से को किसी प्रकार से विधि के अनुसार विक्रय करने का अधिकार नही है। दिनांक 12.3.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 हजारी ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

वह अपने हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बिना भूमि को बंटवारे किये ही विक्रय करेगा तथा उपपंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी के कार्यालय में रजिस्ट्री तस्दीक करवायेगा, इस कारण से वादीगण को प्रतिवादी हजारी तथा अन्य प्रतिवादी के विरूद्व दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को प्रतिवादी हजारी द्वारा दिनांक 12.03.2017 को धमकी दिये जाने के कारण वादीगण को भूमि विभाजन का दावा, कुएँ का इन्द्राज खसरा नम्बर 398 मे करवाये जाने के लिये तथा मु0 पन्नी की मृत्यु हो जाने के कारण 1/6 हिस्से को 1/5 हिस्से मे इन्द्राज रेवेन्यु रिकार्ड मे कराये जाने के कारण वादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती का दावा तथा भूमि विभाजन के बाद घोषणा खातेदारी करवाने का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित प्रकार से डिक्री फरमाने की कृपा करे। प्रतिवादी हजारी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी वाद पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 146, 398, 359 का जब तक विधि बावत बंटवारा नही हो जाता है तब तक अपने हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय नही करे तथा विक्रय पत्र को उपपंजीयक अधिकारी से रजिस्टर्ड नही करावे। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार को भूमि विभाजन होने के बाद अलग अलग हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी का 1/5 का इन्द्राज हेतु निर्देशित किया जावे तथा कुएँ मे खसरा नबर 398 मे वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी 1/5 हिस्सा शामिल का इन्द्राज किया जावे तथा भूमि विभाजन होने के बाद वादिगण तथा प्रतिवादी हजारी की घोषणा खातेदारी की जावे। प्रतिवादी भूमि पंजीयन अधिकारी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जब भूमि का विधिवत बंटवारा नही हो जाता है, खातेदारी की घोषणा नही हो जाती है तब हजारी द्वारा पेश किये गये विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड नही करे। लैण्ड होल्डर को भूमि विभाजन हेतु प्रीमिनली डिक्री से वाद विधिवत रूप से फाईनल डिक्री बनाने के लिए, विधिवत बंटवारा हेतु सरस तथा नरस भूमि के मुताविक वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी को निर्देशित फरमावे तथा उसी प्रकार से इन्द्राज [illegible] फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2072—2075 ग्राम अहमदपुर खाता संख्या 62 प्रदर्श, खाता संख्या 56 प्रदर्श2, नकल नक्शा

ट्रेस प्रदर्श 3 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी मूल्या पी.डब्ल्यू 1, बयान वादी फूल्या पीडब्ल्यू 2, बयान वादी प्रभू पीडब्ल्यू 3 कराये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी जाकर दिनांक 29.7.2021 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

दिनांक 10.3.2022 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वकील वादीगण को सुना गया। अतः पक्षकारों के मध्य तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता हैः—

1. प्रभू पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146 रकबा 0.12 है0, ख0न0 398/1 रकबा 0.12 है0, ख0न0 359/1 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।
2. फूल्या पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/2 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/4 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।
3. मूल्या पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/3 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/3 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359/4 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।
4. सत्तू पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/1 रकबा 0.23 है0, ख0न0 398 रकबा 0.25 है0, ख0न0 359/3 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।
5. हजारी पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/4 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/2 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359/2 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड मय नत्थी बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. मूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सत्तू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रभू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र भौरया, रैगर निवासी अहमदपुर हाल निवासी आदर्श नगर, रैगर मौहल्ला सवाई माधोपुर

2 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

3 उपपंजीयन अधिकारी तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 18/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री वृद्धिचंद शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. प्रभू पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146 रकबा 0.12 है0, ख0न0 398/1 रकबा 0.12 है0, ख0न0 359/1 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

2. फूल्या पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/2 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/4 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

3. मूल्या पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/3 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/3 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359/4 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

4. सत्तू पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार र[illegible] भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/1 रकबा 0.25 है0, ख0न0 398 रकबा 0.25 है0, ख0न0 359/3 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.02.03 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

5. हजारी पुत्र भौरया, रैगर सा.देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0न0 146/4 रकबा 0.11 है0, ख0न0 398/2 रकबा 0.13 है0, ख0न0 359/2 रकबा 0.074 है0 ग्राम अहमदपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7.12.2022 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2017	22.3.2017	29.7.2021

1. मूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सत्तू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रभू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र भौरया, रैगर निवासी अहमदपुर हाल निवासी आदर्श नगर, रैगर मौहल्ला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. उपपंजीयन अधिकारी तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री वृद्धिचंद शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी, शामिल कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 146 रकवा 68 ऐयर, खसरा नम्बर 398 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 359 रकवा 37 ऐयर ग्राम अहमदपुर मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का शामिल का कुआ ख0न0 398 मे स्थित है जो वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने सन् 1989 मे बनवाया था। उक्त मे वर्णित कृषि भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 शामिल मे काश्त करते है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का विभाजन मौके पर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मे आज तक नही हुआ है। तीनो खसरा नम्बरान मे वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 शामिल मे काश्त करते आ रहे है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माँ मु0 पन्नी की मृत्यु करीब 4 महीने पहले ग्राम अहमदपुर मे हो चुकी है। जमाबंदी मे वादीगण का हिस्सा मु0 पन्नी सहित 5/6 अंकित है तथा सत्तू वादी का हिस्सा 1/6 अंकित है। जब तक कृषि भूमि का मद नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 146,398,359 [illegible] बॅटवारा डिवीजन ऑफ होडिंग नही हो जाता है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 हजारी को खसरा नम्बर 146, 398, 359 मे से 1/6 हिस्से को अथवा 1/5 हिस्से को किसी प्रकार से विधि के अनुसार विक्रय करने का अधिकार नही है। दिनांक 12.3.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 हजारी ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

वह अपने हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बिना भूमि को बंटवारे किये ही विक्रय करेगा तथा उपपंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी के कार्यालय में रजिस्ट्री तस्दीक करवायेगा, इस कारण से वादीगण को प्रतिवादी हजारी तथा अन्य प्रतिवादी के विरूद्व दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को प्रतिवादी हजारी द्वारा दिनांक 12.03.2017 को धमकी दिये जाने के कारण वादीगण को भूमि विभाजन का दावा, कुऍ का इन्द्राज खसरा नम्बर 398 मे करवाये जाने के लिये तथा मु0 पन्नी की मृत्यु हो जाने के कारण 1/6 हिस्से को 1/5 हिस्से मे इन्द्राज रेवेन्यु रिकार्ड मे कराये जाने के कारण वादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती का दावा तथा भूमि विभाजन के बाद घोषणा खातेदारी करवाने का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित प्रकार से डिक्री फरमाने की कृपा करे। प्रतिवादी हजारी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी वाद पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 146, 398, 359 का जब तक विधि बावत बंटवारा नही हो जाता है तब तक अपने हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय नही करे तथा विक्रय पत्र को उपपंजीयक अधिकारी से रजिस्टर्ड नही करावे। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार को भूमि विभाजन होने के बाद अलग अलग हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी का 1/5 का इन्द्राज हेतु निर्देशित किया जावे तथा कुऍ मे खसरा नबर 398 मे वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी 1/5 हिस्सा शामिल का इन्द्राज किया जावे तथा भूमि विभाजन होने के बाद वादिगण तथा प्रतिवादी हजारी की घोषणा खातेदारी की जावे। प्रतिवादी भूमि पंजीयन अधिकारी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जब भूमि का विधिवत बंटवारा नही हो जाता है, खातेदारी की घोषणा नही हो जाती है तब हजारी द्वारा पेश किये गये विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड नही करे। लैण्ड होल्डर को भूमि विभाजन हेतु प्रीमिनली डिक्री से वाद विधिवत रूप से फाईनल डिक्री बनाने के लिए, विधिवत बंटवारा हेतु सरस तथा नरस भूमि के मुताविक वादीगण तथा प्रतिवादी हजारी को निर्देशित फरमावे तथा उसी प्रकार से इन्द्राज दुरूस्ती फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम अहमदपुर खाता संख्या 62 प्रदर्श, खाता संख्या 56 प्रदर्श2, नकल नक्शा

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते
उप जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

ट्रेस प्रदर्श 3 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी मूल्या पी.डब्ल्यू 1, बयान वादी फूल्या पीडब्ल्यू 2, बयान वादी प्रभू पीडब्ल्यू 3 कराये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादग्रस्त भूमि मे वादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित करते हुए इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि में वादी मूल्या, फूल्या, सत्तू, प्रभू व प्रतिवादी हजारी का 5/6 हिस्सा दर्ज है तथा मु0 पन्नी पत्नी भौरया का 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। वादीगण ने मु0 पन्नी की मृत्यु होना बताकर शेष खातेदारों को 1/5 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है एवं इसी अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है जबकि वादीगण ने मु0 पन्नी की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है एवं ना ही किसी स्वतंत्र साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि मु0 पन्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हम वादग्रस्त भूमि में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार भूमि की विभाजन स्कीम मंगाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 146 रकवा 68 ऐयर, खसरा नम्बर 398 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 359 रकवा 37 ऐयर ग्राम अहमदपुर के अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एंड बाउण्ड्स से भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०

उनवान

1. मूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सत्तू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रभू पुत्र भौरया जाति रैगर निवासी अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र भौरया, रैगर निवासी अहमदपुर हाल निवासी आदर्श नगर, रैगर मौहल्ला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. उपपंजीयन अधिकारी तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 18/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री वृद्धिचंद शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 146 रकवा 68 ऐयर, खसरा नम्बर 398 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 359 रकवा 37 ऐयर ग्राम अहमदपुर के अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एंड बाउण्ड्स से भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर ... आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.7.2021 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते